

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल

अनुसूचि 14 फॉर्म सं०-162

श्री श्री
सनाम
सीदाम महतो

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 120

आदेश पत्रक तारीख..... जिला-साहेबगंज
किमिनल मिस केस JS7/2019..... रान्.....
केस के प्रकार-धारा 144 द0प्र0स0 के अधीन

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के हरे र दिपनी और तारीख सहित
---------------------------------	--------------------------------	---

1 2
आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि 22/4/19
बरहरवा थाना अंतर्गत मौजा- बटाईल के

ज0न0	दाग न0	रकवा	चौहद्दी			
			उ0	द0	पु0	प0
60/22	562	00-08-08	सुरेश महतो	सीदाम महतो	पी0सी0सी0 सडक	सुरेश महतो

जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के द्वारा सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है।

अतएव उभय पक्षों के विरुद्ध द0 प्र0 स0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर बजरिये नोटिश किसी भी व्यक्ति को विवादित भूमि पर जाने से रोकते हुए नोटिश दिया जाता है कि वे दिनांक 22/4/19 को मेरे न्यायालय में उपस्थित हो कर कारण पृच्छा दें कि जारी निषेधाज्ञा उनके विरुद्ध क्यों नहीं सम्पुष्ट की जाय ?

निर्धारित तिथि को नोटिश तामिला के साथ अभिलेख प्रस्तुत करें।
लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

नोटिश तामिला प्राप्त है। उभय पक्षों को नोटिश दी गई है।
इस आवेदन-पत्र हार्दिक। अभिलेख दिनांक 22/4/19

पुनः - उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना जा
वाक की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अतएव वाक की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल